राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या .–1653/2015/.....जिला–जयपुर.....

उनवान– मैं जी. वी. आर. इन्फ्रा प्रोजेक्ट लि.,ए–89, विद्युत नगर, अजमेर रोड, जयपुर **बनाम्** सहायक आयुक्त, वर्क्स कान्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, संभाग–तृतीय, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.10.2015	**खण्डपीठ** **श्री मनोहर पुरी, सदस्य** **श्री मोहन लाल नेहरा,सदस्य** अपीलार्थी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित अपील सं. 151 आदेश दिनांक **09.10.2015,** जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किया गया हैं, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिनमें सहायक आयुक्त, **वर्क्स कान्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, संभाग–तृतीय, जयपुर** (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की **धारा 33/22, 25** के **कर निर्धारण वर्ष 2014–15** के तहत् पारित निर्धारण आदेश दिनांक **31.08.2015 के जरिये कायम मांग राशि** की वसूली पर अपीलीय अधिकारी द्वारा रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार करने को विवादित कर राशि **रू. 40071572/– व ब्याज रू.1861373/–, कुल रू. 41932945/–में से 32078940/–** की वसूली पर रोक लगाये जाने की प्रार्थना की गयी है। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री अशोक हंसारिया विभाग की ओर से उप–राजकीय अभिभाषक श्री डी. पी. ओझा की रोक आवेदन पत्रों पर बहस हेतु आज दिनांक **20.10.2015** को उपस्थित हुये। उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। बहस में अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि अपीलीय प्राधिकारी ने आपने आदेश में तथ्यों पर कोई विचार नहीं किया तथा न्यायोचित रूप से आदेश पारित नहीं किया गया है। अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2014–15 के लिये दो कार्य मुक्ति प्रमाण पत्र 1 प्रतिशत एवं 0.75 प्रतिशत से प्रदत्त कार्य मुक्ति प्रमाण पत्र भी अविधिक रूप से जारी किया गया। वकील प्रार्थी के अनुसार 0.75 प्रतिशत की बजाए कार्य मुक्ति प्रमाण पत्र 1 प्रतिशत से पुरानी अधिसूचना के अनुसार ही जारी की जानी चाहिए थी, जो कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है। प्रथम ई.सी. 1 प्रतिशत जो कि अजमेर से नागौर सड़क निर्माण कार्य हेतु तथा दूसरा ई.सी. 0.75 प्रतिशत नागौर से बीकानेर सड़क निर्माण कार्य हेतु प्रदत्त की गई है। द्वितीय ई.सी. के अन्तर्गत राज्य के पंजीकृत व्यवहारियों के अलावा अन्य खरीद पर अतिरिक्त कर देयता होगी, प्रथम ई.सी. में ऐसी कोई शर्त नहीं थी। कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.08.2015 के 20/10/15	

अनुसार अपीलार्थी द्वारा राज्य के बाहर से बिटुमिन रूपये 14,61,84,352/– एवं सीमेंट रूपये 9,04,034/– की खरीद द्वितीय ई.सी. के कार्य निष्पादित हेतु की गई है। इस राशि पर ही अपीलार्थी का अतिरिक्त कर का दायित्व बनता था, किन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना किसी जांच एवं सत्यापन के स्वः विवेक के आधार पर दोनों ई.सी. से निष्पादित कार्यों के लिये राज्य के बाहर से आयातित माल की राशि का आंकलन कर द्वितीय ई.सी के लिये
मंगाये गये बिटुमीन सीमेंट की कुल मात्रा में से पृथक–पृथक उपयोग की बजाए अनुबंध के मूल्य के आधार पर आनुपातिक रूप से राज्य के बाहर से आयातित माल की राशि का आंकलन कर द्वितीय ई.सी. के लिये मंगाये गये बिटुमीन सीमेंट के मूल्य का निर्धारण कर अतिरिक्त करारोपण किया गया है। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलोच्य अवधि द्वितीय ई.सी के लिये वास्तविक उपयोग की बजाए अनुबंध के मूल्य के आधार पर काल्पनिक रूप से खरीद मूल्य का निर्धारण कर रूपये 4,19,32,945/– का अतिरिक्त कर एवं ब्याज का आरोपण किया गया है, जो कि लेखीं पुस्तकों एवं तथ्यों से भिन्न है। विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उक्त आदेश को लेखी पुस्तकों एवं तथ्यों से परे बताते हुये समस्त मांग राशि में से रू. **3,20,78,940/–** को स्थागित किये जाने का निवेदन किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के सिविल अपील न. 4290/2008 निर्णय दिनांक 10.07.2008 मैं स्टील अथोरिटी ऑफ इण्डिया बनाम् सेल टैक्स ऑफिसर व राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर की अपील सं. 1641/2013/जयपुर मैं शिवाल बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स, जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, कार्य संविदा एवं पटटा कर तृतीय, जयपुर निर्णय दिनाक 03.09.2014 का हवाला देते हुए बकाया मांग राशि में से रू. **3,20,78,940/–** को स्थागित किये जाने का निवेदन किया।

उपराजकीय अभिभाषक ने अपीलीय प्राधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों की बहस पर मनन् करने के पश्चात प्रथम दृष्ठया सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत होने के फलस्वरूप यह खण्डपीठ गुणावगुणों को बिना प्रभावित किये हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर बकाया मांग राशि में से रू. **3,20,78,940/–** को स्थगित किया जाता हैं, **अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।**

20/10/15

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य

20.10.2015

(मनोहर पुरी)
सदस्य